Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

39-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 4, 2022 (PHALGUNA 13, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th March, 2022

No. 07-HLA of 2022/17/4336.— The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 07- HLA of 2022

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022.

Omission of section 330 of Haryana Act 16 of 1994.

2. Section 330 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act) shall be omitted.

Amendment of section 331 of Haryana Act 16 of 1994.

3. For section 331 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"331. Place/premises not to be used for certain purposes without licence.- (1) No person shall use or permit to be used any place/premises for any of the following purposes without or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted by the Commissioner in this behalf, namely:-

(a) keeping horses, cattle or other quadruped animals or birds for transportation, sale or hire or for sale of the produce thereof;

(b) any other purpose, as specified by the Government as dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance.

(2) The Commissioner may impose such other conditions while granting licence, as it may deems necessary.".

Omission of section 335 of Haryana Act 16 of 1994.

4. Section 335 of the principal Act shall be omitted.

Omission of section 336 of Haryana Act 16 of 1994.

5. Section 336 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 352 of Haryana Act 16 of 1994.

6. In sub-section (2) of section 352 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding any fee imposed by the Corporation under this Act or bye-laws made thereunder, for every licence or written permission, the Corporation may charge such fee at such rate and for such period as specified by the Government from time to time.".

Omission of Second Schedule to Haryana Act 16 of 1994.

7. The existing Second Schedule of the principal Act shall be omitted.

Amendment of Third Schedule of Haryana Act 16 of 1994.

8. In the Third Schedule of the principal Act, the entries under columns 1, 2, 3 and 4 related to sections 330, 335 and 336 shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The provisions of trade/business license have been made in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 16 of 1994) on the pattern of Punjab Municipal Act, 1911. Relevant Sectionsof the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 provide the provisions relating to obtaining trade/business licenses and renewal thereof on yearly basis. Presently, the Municipal Corporations have the powers to fix rates of license fees after passing resolutions in their respective House Meetings. This practice has created anomalies in imposing trade license fees across the Municipal Corporations of the State at variance with each other which is creating confusion among the public. Further, Municipal Corporations are imposing licence fees on various trades even whereobtaining of trade licence is not mandatory.

2. It is inevitable to create uniformity in the trade license fees and make it uniform throughout all the Municipal Corporations in the State. Besides, the business activities being carried out now have gone through a huge transformation as compared to trade/business activities which were being carried out during the year 1911. Municipality was the only Regulatory Authority at that time but now many Regulatory Authorities are in place such as Pollution Control Board, Industrial Safety & Health under the Factories Act, 1948 etc. Inflammable articles are also regulated under separate statute by the designated authority. As such, there is no justification to issue licences by the municipalities for such type of businesses which are regulated by other statutory authorities.Hence, the following steps are incumbent upon the Governmentto be taken up on urgent basis:-

   - Uniformity in trade/business license fee structure;
   - Empowering the Government to notify any purpose that is dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance and fixation of period for renewal of trade licence;
   - To omit/delete obsolete trade/business activities and eliminate the multiplicity of regulating authorities; and
   - Omission of the existing Second Schedule of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

3. To ensure uniformityin the applicability of trade licences by restricting it to statutory activities as well as for the purposes which are specified by the Government as being dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance and making similar provisions in this regard in both the Acts viz., Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and Haryana Municipal Act, 1973, amendments are required to be carried out in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 alongwith omission of the existing Second Schedule and amendment thereof in Third Schedule relating to penalty sections. This will behelpful in easing business practices in urban areas by eliminating the multiplicity of regulating authorities.

4. Hence, it is necessary to carry out amendments in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 16 of 1994) by way of enacting the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 4th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 7–एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 330 का लोप।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 330 का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 331 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 331 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"331. अनुज्ञप्ति के बिना कतिपय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले स्थान/परिसर.–(1) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों की अनुरूपता के बिना या अन्यथा से किसी स्थान/परिसरों का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिए अनुमत नहीं करेगा, अर्थात्:–

(क) घोड़ों, मवेशियों या अन्य चौपाया पशुओं या पक्षियों का परिवहन, विक्रय करने या भाड़े पर देने या उनके उत्पाद के विक्रय के लिए रखने हेतु;

(ख) कोई अन्य प्रयोजन, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो या जिससे उत्पात पैदा होने की सम्भवना हो।

(2) आयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकता है, जो यह आवश्यक समझे।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 335 का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 335 का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 336 का लोप।

5. मूल अधिनियम की धारा 336 का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 352 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 352 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई उप–विधियों के अधीन निगम द्वारा अधिरोपित किसी फीस के होते हुए भी, प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए, निगम ऐसी दर पर और ऐसी अवधि के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकता है,जो सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की द्वितीय अनुसूची का लोप।

7. मूल अधिनियम की विद्यमान द्वितीय अनुसूची का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की तृतीय अनुसूची का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, धारा 330, 335 तथा 336 से संबंधित खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे दी गई प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस के प्रावधान पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के अनुरुप किये हुये हैं। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की सम्बन्धित धाराओं में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस प्राप्त करने व इनके वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करवाने का प्रावधान हैं। वर्तमान में नगर निगमों को अपने सदन की बैठकों में प्रस्ताव पास करके व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इससे राज्य की नगर निगमों में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस का निर्धारण करने में भिन्नतायें हो गई हैं, जो जन–साधारण में भ्रांति उत्पन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त नगर निगमों द्वारा उन व्यवसायों से भी लाईसैंस फीस ली जा रही हैं जिनके लिये व्यवसायिक लाईसैंस लिया जाना आवश्यक नहीं हैं।

2. यह अति आवश्यक है कि राज्य के सभी नगर निगमों में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने में एकरुपता हो। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जो व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही है उनमें वर्ष 1911 की अवधि में किये जा रहे व्यवसायों से काफी भिन्नता हैं। उस दौरान केवल पालिका ही नियामक प्राधिकरण होती थी जबकि आज के समय में कई नियामक प्राधिकरणें जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि ने स्थान ले लिया हैं। अति ज्वलनशील सामग्रियाँ भी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अलग कानून के अंतर्गत विनियमित हैं। इस प्रकार अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विनियम किये जाने वाले उद्योगों को नगर निगमों द्वारा भी लाईसेंस जारी करने का कोई औचित्य नहीं हैं। इसलिये, सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाये जाने आवश्यक हो गये है :–

   - व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस के ढांचे की एकरुपता करना;
   - किन्हीं प्रयोजनों जोकि जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक है या जिससे उत्पात उत्पन्न करने की सम्भावना हो, को अधिसूचित करने तथा व्यवसायिक लाईसैंस के नवीनीकरण हेतु समयावधि निर्धारित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना;
   - अप्रचलित व्यापार/व्यवसायिक गतिविधियों का लोप करना एवं नियामक प्राधिकरणों की बहुलता को समाप्त करना; तथा
   - हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में पहले से मौजूद द्वितीय अनुसूची का लोप करना।

3. व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस की अनिवार्यता को वैधानिक गतिविधियों के साथ–साथ सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे प्रयोजन जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो या जिससे उत्पात उत्पन्न करने की सम्भावना हो, तक लागू रखने व इस संदर्भ में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में समान प्रावधान करने के लिये, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में मौजूद द्वितीय अनुसूची का लोप करते हुये तथा तृतीय अनुसूची में जुर्माने से सम्बन्धित धाराओं में संशोधन किया जाना वांछित हैं। यह नियामक प्राधिकरणों की बहुलता को समाप्त करके शहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को आसान करेगा।

4. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) में हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 के द्वारा संशोधन किया जाये।

डॉ कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9512—H.V.S.—H.G.P., Pkl.